B

कार्यालयः जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक : लेखा / 373 दिनांक : 12.08.22

निविदा सूचना

इस न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में मुद्रण कार्य करवाने एवं स्टेशनरी आर्टिकल्स क्रय करने के लिये प्रतिष्ठित एवं संस्थापित फर्मों से मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य लागत	बोली प्रतिभूति राषि राज्य की एस एस आई इकाइयों के लिये	बोली प्रतिभूति राशि अन्य फर्मों के लिये	निविदा शुल्क	निविदा प्रपत्र के विक्रय की तिथि	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि
01	मुद्रण कार्य	रू 321100	1/2 प्रतिशत (राशि रुपये 1606/—)	02 प्रतिशत (राशि रुपये 6422/—)	100 रू एस. एस. आई यूनिट एवं 200 रुपये अन्य फर्म हेतू	16.08.22 को प्रातः 11.00 बजे से 25.08.22 को दोपहर 01.00 बजे तक	16.08.22 को प्रातः 11.00 बजे से 25.08.22 को दोपहर 03.00 पीएम तक
02	स्टेशनरी एवं स्टेशनरी आईटम्स	रू 323100	1/2 प्रतिशत (राशि रुपये 1616/—)	02 प्रतिशत (राशि रुपये 6462/—)			

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निर्धारित शुल्क जमा करवाकर इस कार्यालय की लेखा शाखा (कमरा नंबर 101डी) से निर्धारित तिथि व समय से पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के साथ बोली प्रतिभूति राशि जमा करवाना आवश्यक होगा। बोली प्रतिभूति राशि के बिना निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 25.08.22 को सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा का विस्तृत विवरण व शर्तें http://sppp.rajasthan.gov.in एवं ecourts.gov. in/jaipur पर देखी जा सकेगी।

अध्यक्ष,
क्रय समिति,
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक : लेखा/374-378 दिनांक : 12.08.22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर

2– प्रभारी अधिकारी, स्टोर, जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर

3– नाजिर, कार्यालय हाजा को 08 प्रतियों में इन कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर रिपोर्ट पेश करने हेतुः
जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला
जिला एंव सैशन न्यायालय ,जयपुर महानगर । तथा ।।
जिला कलेक्ट्रेट जयपुर
सूचना केन्द्र, जयपुर
संभागीय आयुक्त मिनी सचिवालय जयपुर
कोषालय, जयपुर शहर

4– सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को विभाग की वैबसाईट **http://ecourts.gov.in/jaipur** तथा **http://sppp.rajasthaan.gov.in** पर अपलोड़ करने हेतु।

अध्यक्ष (क्रय समिति)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर

कार्यालय :जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर

निविदा का प्रारूप

निविदा प्रपत्र मूल्य 100/- रुपये (एस.एस.आई यूनिट हेतू)
निविदा प्रपत्र मूल्य 200/-रुपये(अन्य फर्म हेतू)
(वापसी योग्य नहीं)

01–कार्य का नाम	स्टेशनरी आईटम्स की आपूर्ति किये जाने की निविदा
02–निविदा प्रपत्र जिस फर्म के नाम जारी किया गया उसका नाम व डाक का पता, मोबाईल नंबर व ई मेल एड्रेस	
03–अनुमानित राशि	रू 323100/-
04–बोली प्रतिभूति	रू 1615/- एस एस आई यूनिट रू 6462/- अन्य फर्म हेतु
05–निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	दि. 16.08.22 को दोपहर 11.00 बजे से दि. 25.08.22 को दोपहर 01.00 बजे तक
06–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	25.08.22 को दोपहर 03.00 बजे तक
07–निविदा खोलने की तिथि	25.08.22 को सायं 04.00 बजे

अध्यक्ष
क्रय समिति
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
क्रम-2,जयपुर जिला, जयपुर

क्र0 सं0	वस्तु का नाम मय विषेष विवरण	अनुमानित मांग		निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें (सभी करों सहित)
1	सफेद कागज 21.5गुणा34.5 500 शीट्स 75 जीएसएम	700	रिम	
2	सफेद कागज ए4 500 शीट्स 75 जीएसएम	50	रिम	
3	जजमेन्ट 21.5गुणा34.5 500 शीट्स 80 जीएसएम	300	रिम	
4	कार्बन पेपर नीला 210 एम एम गुणा 330 एम एम	20	पैक	
5	स्टाम्प पैड बड़ा 160 एम एम गुणा 97 एम एम	100	नग	
6	स्टाम्प पैड मिडियम 110 एम एम गुणा 70 एम एम	50	नग	
7	स्टाम्प इंक नीली 100 एम एल	80	नग	
8	आलपिन पैकिट 100 ग्राम (टी आकार)	400	पैक	
9	धागा 200 ग्राम प्रति नग	200	नग	
10	बस्ता 90 गुणा 90 सी एम	1000	नग	
11	गोंद 150 एम एल	100	नग	
12	सेलो टेप 1"	300	नग	
13	फाईल लैस 924 नंबर प्रति बंडल 100 नग	20	पैक	
14	फाईल टैग 8" प्रति पैक 100	10	पैक	
15	लंगोट 26"गुणा 4"	200	नग	
16	पिन कुषन	100	पैक	
17	शार्टहैंड पैंसिल प्रति पैक 10 नग	100	पैक	
18	फाईल कवर	1000	नग	
19	फल्यूड पैन	200	नग	
20	स्टेपलर पिन छोटी नं0—10	300	पैक	
21	लिफाफे खाकी 18 गुणा 12	2000	नग	
22	लिफाफे खाकी 11 गुणा 5	10000	नग	
23	फाईल पैड	100	नग	
24	ग्लू स्टिक / फेविस्टिक 15 ग्राम	50	नग	
25	डस्टर 70 एम एम गुणा 50 एम एम	200	नग	
26	पेन officer	100	नग	
27	रिफिल ऑफिसर	200	नग	

28	यू पिन	10	पैक	
29	वाटर स्पंज	200	नग	
30	मार्कर ब्लैक	50	नग	
31	फ्लेग	50	नग	
32	हाईलाइटर	50	नग	
33	लंगोट	200	नग	

निविदा के प्रतिबंध व शर्तें

निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर इन शर्तों के पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें।

1. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा (कमरा नंबर 101डी) में कैशियर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्तें भी कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में देखी जा सकती है।
2. बिना बोली प्रतिभूति राशि जमा कराये निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। सशर्त निविदायें स्वीकार्य नहीं होंगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ पैन नंबर, जीएसटी नं. की प्रति संलग्न होना चाहिये।
4. निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित सामग्री स्वीकृत नमूनानुसार एवं वांछित गुणवत्ता अनुसार होनी चाहिये। पेपर रिम की आपूर्ति को वजन माप के आधार पर भी विचार किया जायेगा।
6. सप्लाई आदेश प्राप्ति के बाद शीघ्रताशीघ्र सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। निविदा में वर्णित दरों के संबंध में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. निविदा की अवधि में यह प्रदायकर्ता द्वारा इस विभाग को आपूर्ति की जा रही लेखन सामग्री की दरों में कोई कमी की जाती है या दी गयी दर से किसी अन्य को कम दर से सामग्री की आपूर्ति की जा रही है तो यह कम की गयी दर इस विभाग के लिये भी मान्य होगी एवं प्रदायकर्ता द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत अपने देय को इस बाबत प्रमाणपत्र अंकित करना होगा।
8. निविदा में प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से लिखकर अंकित करनी होगी। कांट–छांट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा दरें निर्धारित मांग / निर्देशों / नमूना / ब्रॉण्ड के अनुसार स्पष्ट रूप से दी जावे। निविदा में प्रस्तुत दरों में समस्त कर एवं सामान को इस कार्यालय तक पहुंचाने का व्यय (हैंडलिंग चार्जेज) भी शामिल होगा।
9. बोली प्रतिभूति राशि (निविदा के साथ) जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर के नाम डी0डी0 बनाकर प्रस्तुत करना होगा

10. सप्लाई आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर सप्लाई किये जाने वाले सामान की मूल कीमत की पॉच प्रतिशत राशि (राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में एक प्रतिशत राशि) कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में आदेश प्राप्ति के तुरन्त बाद जमा करवानी होगी, जिसमें जमा बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन कार्य संपादन प्रतिभूति में किया जा सकेगा। इस अतिरिक्त निर्धारित राशि 500/— रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।
11. किसी भी निविदा या निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस बाबत दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
12. लेखन सामग्री की आपूर्ति की दरें दिनांक 31.3.23 तक मान्य होगी एवं उसके पश्चात् दोनों पक्षों की सहमति से अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
13. अनुमोदित प्रदायकर्ता अपनी निविदा को किसी को सबलैट नहीं करेगा।
14. निविदादाताओं को सप्लाई की जाने वाली सामग्री का सैम्पल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बिना सैम्पल के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को पेपर की पूरी रिम, रिम का वजन मय ब्राण्ड अंकित करते हुए, नमूने के रूप में पेश करनी होगी।
15. सप्लाई की गयी सामग्री निर्धारित मानक/निर्देशों के अनुसार नहीं होने की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के त्रुटि सुधार कर/बदल कर देनी होगी अथवा उसका लागत मूल्य कार्यालय में जमा करवाना होगा। इसके अलावा कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।
16. परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जावेंगे किन्तु यदि निविदाकर्ता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण करवाना चाहता है या परीक्षण परिणाम से ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों पर मापदण्ड के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार प्रदायकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
17. निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।
18. असफल निविदादाताओं की अमानत राशि निविदा के स्वीकार किये जाने के तुरन्त बाद लौटा दी जावेगी।
19. निविदा में उन्हीं फर्मों को प्राथमिकता दी जा सकती है जो वास्तव में उत्पादन कम्पनी से मान्यता प्राप्त डीलर अथवा कार्य करने की क्षमता रखते हैं एवं स्वयं का स्टोर है।
20. निविदा प्रपत्र में दी गयी सामग्री की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
21. उक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें जी0एफ0एण्डए0आर0, आर टी पी पी एक्ट 2012, आर0टी0पी0पी नियम, 2013 तथा राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मान्य होंगी। अन्य शर्तों में कोई भी संशोधन करने का विभाग को अधिकार होगा जो मान्य होगा।
22. आपूर्तिकर्ता फर्म को सप्लाई किये जा रहे सामान का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
23. कोई भी विवाद होने की स्थिति में जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

24. क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर शास्ति (लिक्विडिटी डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी–

(क) विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश की राशि का 2.5 प्रतिशत।

(ख) विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिये विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का पॉच प्रतिशत।

(ग) विदित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिये विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का साढे सात प्रतिशत।

(घ) विदित सुपुर्दगी अवधि का तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का दस प्रतिशत।

25. सामग्री की अनुमानित मांग में बजट के अनुसार कमी एवं बेशी का अधिकार क्रय समिति के पास होगा।

हम जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा चाही गयी लेखन सामग्री हमारे द्वारा दी गई दरों के आधार पर सामग्री की आपूर्ति दिये जाने हेतु सहमत हैं।

हम जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या........... दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।.

हस्ताक्षर फर्म मालिक / पार्टनर
मय सील

वास्ते
फर्म का नाम व पता
फर्म का स्टाम्प